कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म0प्र0)

।। संशोधित कार्य विभाजन विविध आदेश ।।

क्रमांक 95 / एक–11–1 / 09 / S.W. बुरहानपुर, दिनांक **08 / 06 / 2022**

मैं अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर, म.प्र., पूर्व में जारी समस्त कार्य वितरण / संशोधित कार्य वितरण आदेशों को निरस्त करते हुये, व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(3), 194, 381 (2), 400, 408 एवं 409 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, सिविल जिला एंव सत्र खण्ड बुरहानपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय तथा सिविल जिले बुरहानपुर में स्थापित किये गये अन्य न्यायालयों में आगामी अन्य आदेश तक न्यायिक संशोधित कार्य विभाजन विविध आदेश निम्नानुसार जारी करता हूँ, जो कि तत्काल प्रभावशील होगा :–

खण्ड अ–सिविल कार्य विभाजन

स. क.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
01	प्रधान जिला न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर	1–बुरहानपुर, नेपानगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले **रूपये–10,00,00001 / –(दस करोड़ एक) रूपये एवं उससे** अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद, प्रवर्तन आवेदन पत्र, सिविल विविध मामले । 2–.सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा–24 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 3–भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलें। 4–मध्यप्रदेश लोकल फंड अधिनियम की धारा–14 के अंतर्गत आवेदन पत्र । 5–आर्बिटेशन एवं रिकंसिलेशन अधि. 1996 के अंतर्गत ऐसे आवेदन एवं अपीलें जो **जिला न्यायाधीश स्तर पर बुरहानपुर जिलें के स्थानीय क्षेत्राधिकार के लिए गठित कमर्शियल कोर्ट भोपाल म.प्र. के क्षेत्राधिकार की नही है,** से संबंधित याचिका एवं प्रवर्तन प्रकरण। 6–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरूध्द नियमित एवं विविध अपीलें जो **कमर्शियल अपील न्यायालय भोपाल म.प्र.** के क्षेत्राधिकार से संबंधित नही है। 7–**तहसील बुरहानपुर की सीमा** के अंतर्गत स्थित थानों (थाना निम्बोला को छोड़कर) के क्षेत्राधिकार एवं **अन्य जिलों में घटित मोटर दुर्घटना** से संबंधित दावें, एवं इस अधिकरण के आवार्ड आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8–नगर पालिका निगम बुरहानपुर एवं सिविल जिले में स्थित नगर पालिका / नगर पंचायत के चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं। 9–इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां । 10–अन्य समस्त आवेदन पत्र / अपीले जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत हो, जिन्हें अन्य न्यायालयों को आवंटित न किया गया हों।
02	प्रथम जिला न्यायाधीश, प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर	1–बुरहानपुर, नेपानगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले **रू.1,00,00,001 / –(एक करोड़ एक रूपये) से रूपये–10,00,00000 / –(दस करोड़) तक** के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद ,प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विविध मामलें। 2–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम / षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 3–501 रू. (पांच सौ एक) से 1000 रू. (एक हजार) तक के लघुवाद। 4–**तहसील खकनार एवं नेपानगर की सीमा के अंतर्गत स्थित थानों एवं थाना निम्बोला के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार** के अंतर्गत स्थित थानों के क्षेत्राधिकार में घटित मोटर दुर्घटना से संबंधित दावें, एवं इस अधिकरण के आवार्ड आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5–ग्राम न्यायालय से उत्पन्न अपीले एवं विविध अपीले। 6–इस न्यायालय एवं अपर जिला न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश / प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के अति. न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया

		7–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एवं म.प्र. उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त विषय जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आते हैं। 9–मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन् 1987 के अतंर्गत वे प्रकरण जा जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आते है । 10–प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम 1920 के अंतर्गत वे कार्यवाहियों जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। 11–म.प्र.नगरपालिका निगम अधिनियम–1956 के अंतर्गत प्रकरण जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते है। 12–भू–अर्जन अधिनियम से संबंधित रिफरेंस। 13–द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां । 14–प्रथम व्यवहार न्याया. कनिष्ठ खण्ड के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अति. न्यायाधीश बुरहानपुर एवं प्रथम व्यवहार न्याया. कनिष्ठ खण्ड के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश नेपानगर द्वारा पारित आदेश निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध नियमित एवं विविध अपीलें। 15–हिन्दू अव्यस्कता एवं संरक्षण अधिनियम, हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते है। 16–गार्जियनशिप एण्ड वार्डस एक्ट (बालको का संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधि.1890) के अंतर्गत प्रकरण जो जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
03	द्वितीय जिला न्यायाधीश, द्वितीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बुरहानपुर	जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
04	तृतीय जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर	**रिक्त**
05	चतुर्थ जिला न्यायाधीश बुरहानपुर	**रिक्त**
06	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1– बुरहानपुर, नेपानगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले **रूपये–75,00,001/–(पचहत्तर लाख एक रूपये) मूल्य से अधिक परन्तु रूपये 1,00,00,000/–(एक करोड) मूल्य तक के** "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद। 2– इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री, आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3–प्रांतीय शोधन क्षमता अधिनियम 1920 के अंतर्गत वे प्रकरण जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 4–म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 तथा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत वे अपील जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यव. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को है। 5–भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत कार्यवाहियां । 6–रू. 201/–(दो सौ एक) से 500/– (पांच सौ) मूल्य तक के लघु वाद । 7–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
07	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1– बुरहानपुर, नेपानगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले **रूपये–50,00,001/–(पचास लाख एक रूपये) मूल्य से अधिक परन्तु रूपये 75,00,000/–(पचहत्तर लाख एक रूपये) मूल्य तक के** "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद। 2–"इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहीयां "।

		3–"जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।"
08	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1–बुरहानपुर, नेपानगर एवं खकनार तहसील से उत्पन्न होने वाले रूपये **25,00,001/–पच्चीस लाख एक रू.) से लेकर रू. 50,000,00/–(पचास लाख रू.)** तक मूल्य के अ व ब श्रेणी के व्यवहार वाद।" 2–"इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां "। 3–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
09	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1–बुरहानपुर, खकनार एवं नेपानगर से उत्पन्न होने वाले रूपये **5,00,001/–(पांच लाख एक रूपये) से लेकर रू. 25,000,00/–(पच्चीस लाख रूपये)** तक मूल्य के अ व ब श्रेणी के व्यवहार वाद।" 2–व्यवहार न्यायालय स्तर के **3,00,000, (तीन लाख) <u>रूपये से लेकर 1,00,00,000/–(एक करोड रूपये) तक के "वाणिज्य न्यायालय" के विचारण योग्य</u>** प्रकरणों में नवीन अधिसूचना प्राप्त होने तक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। 3–इस न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय स्तर के **<u>वाणिज्य न्यायालय</u>** द्वारा पारित निर्णय डिक्री, आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4–"जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।"
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1–तहसील नेपानगर से उत्पन्न होने वाले वादों को छोड़कर, **रूपये 2,50,001/–(दो लाख पचास हजार एक रू.) से 5,00,000 रू./–(पांच लाख रू.) तक मूल्य** के <u>"अ" एवं "ब" श्रेणी</u> के व्यवहार वाद । 2–इस न्यायालय व न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां । 3–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	रिक्त
12	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ बुरहानपुर, बुरहानपुर	1–<u>तहसील नेपानगर से उत्पन्न होने वाले वादों को छोडकर,</u> **<u>रूपये</u> रू. 1,00,001/–(एक लाख एक रू.)** से **रू. 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रू.)** तक मूल्य के <u>"अ" एवं "ब" श्रेणी</u> के व्यवहार वाद । 2–इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
13	चतुर्थ व्यवहार न्ययाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1–तहसील नेपानगर से उत्पन्न होने वाले वादों को छोड़कर, **रूपये 1/–(एक रू.) से 25,000/–(पच्चीस हजार रू.) तक मूल्य** के <u>"अ" एवं "ब" श्रेणी</u> के व्यवहार वाद। 2–इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां । 3–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
14	पंचम व्यवहार न्ययाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	1–तहसील नेपानगर से उत्पन्न होने वाले वादों को छोड़कर, **रूपये 25001/–(पच्चीस हजार एक रू.)** से **1,00,000/– (एक लाख रू.) तक मूल्य** के <u>"अ" एवं "ब" श्रेणी</u> के व्यवहार वाद। 2–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

		3–इस न्यायालय व न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीशगण बुरहानपुर द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4–व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार के वे विषय जो अन्य व्यवहार न्यायाधीशों को इस कार्य वितरण आदेश द्वारा नहीं दिये गये हैं।
15	षष्ठम व्यवहार न्ययाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
16	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर	**रिक्त**
17	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर के, षष्ठम अति.न्यायाधीश तहसील नेपानगर	1–नेपानगर नगर तहसील की राजस्व क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न होने वाले रूपये **01/– (एक रू.) से रू.5,00,000/–(पांच लाख रू.)** तक मूल्य के "अ" एवं "ब" श्रेणी के व्यवहार वाद । 2–नेपानगर तहसील से उत्पन्न होने वाले, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रा धिकार के वे विषय जो इस कार्य वितरण आदेश द्वारा नहीं दिये गये हैं। 3–इस न्यायालय, द्वारा पारित आदेशों, निर्णयों तथा जयपत्रों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां । 4–जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों के अंतर्गत अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

<u>खण्ड ब–आपराधिक कार्य वितरण</u>

स.क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
1	**सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय**	1–सत्र खण्ड बुरहानपुर से उत्पन्न सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालयों में सुनवाई योग्य दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन पत्र। 2–अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधि. से संबंधित प्रकरण । 3– मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से संबंधित प्रकरण । 4– अधिसूचित विशेष न्यायालयों से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण। 5–सत्र खण्ड बुरहानपुर अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऐसे मामलें <u>जिनमें किशोर की आयु 16 से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गई हैं।</u> 6– खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित अपीलें। 7–ऐसे नियम/अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण जिनका उल्लेख यहां नहीं है परन्तु इस सत्र न्यायालय के विचारण योग्य हों।
2	**प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय**	1– भ्रष्टाचार निवारण अधि.1988 से संबंधित प्रकरण । 2– एन.डी.पी.एस एक्ट से संबंधित प्रकरण । 3– विधुत अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 4– नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) से संबंधित प्रकरण। 5– सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक/प्रशासनिक आदेशों से अंतरित प्रकरण 6– महिलाओं के विरूध्द अपराध– बलात्कार ,सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य संबंधित प्रकरण।
3	**द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर अधिसूचित विशेष न्यायालय**	1–लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 से संबंधित प्रकरण । 2– सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक/प्रशासनिक आदेशों से अंतरित प्रकरण
4	**तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर**	**रिक्त**
5	**चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर**	**रिक्त**

टीप :– 1. स्थापना के संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के **समस्त प्रकार के** अवकाश एवं प्रशिक्षण पर रहने के फलस्वरूप संबंधित न्यायालयों का कार्य तालिका <u>"अ"</u> में वर्णित न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य अवकाश/प्रशिक्षण अवधि में उक्त न्यायालय का एवं प्रशासनिक कार्य प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा सम्पादित किया जावेगा, तथा उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश बुरहानपुर के द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा।

3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की अवकाश अवधि/अनुपस्थिति में उनके न्यायालय से संबंधित कार्य, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अनुपस्थिति में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

4. लोक अदालत की खण्डपीठ के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वाद का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण उसी न्यायालय द्वारा किया जावेगा, जिस न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण प्रस्तुत हुआ हो।

सही/–
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर म.प्र.

जिला मुख्यालय बुरहानपुर/तहसील नेपानगर के न्यायालयों के न्यायाधीशगणों के अवकाश/अनुपस्थित/अस्थाई रिक्त की स्थिति में निम्नांकित न्यायालयों द्वारा आवश्यक कार्य किया जायेगा।

//<u>तालिका–अ</u>//

स. क्र.	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	–
02	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	–
03	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर	–
04	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
05	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
06	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
07	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
08	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
09	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
10	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
11	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
12	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के, षष्टम अति.न्या. तह. नेपानगर जिला बुरहानपुर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर

टीप :—1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में प्रस्तुत होने वाले **<u>एक–एक</u>** नवीन जमानत आवेदन पत्र क्रमानुसार प्रथम/द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर के न्यायालय के समक्ष अंतरित समझे जावेंगें व उन्ही के द्वारा निराकरण किया जावेगा। यदि किसी अपराध में एक सहअभियुक्त का जमानत आवेदन या उसी अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो तो उस अपराध में पश्चातवर्ती आवेदन उसी न्यायालय में अंतरित माने जाकर निराकृत किये जायेगें।

2. उपरोक्त प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश व प्रथम/द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीशण के अवकाश/अनुपस्थिति की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

3. उपरोक्त व्यवहार न्यायाधीशों के अवकाश/अनुपस्थिति की स्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

सही/—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक 652/एक–11–1/09/S.W. बुरहानपुर, दिनांक **08/06/2022**

प्रतिलिपि :—

1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर.
2— प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर
3— प्रथम/द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.
4— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर
5— प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश,कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर
6— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बुरहानपुर के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश, तह. नेपानगर बुरहानपुर
7— प्रभारी अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, बुरहानपुर
8— प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
9— प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, बुरहानपुर
10— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बुरहानपुर
11— जिला कलेक्टर, बुरहानपुर
12— पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
13— लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता, जिला बुरहानपुर
14— जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर म.प्र.